सुखविन्द्र कौर उर्फ छिन्द्रपाल कौर वगैरह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 177/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या– 177/2022

1. सुखविन्द्र कौर उर्फ छिन्द्रपाल कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिह धर्म पत्नी श्री चाननसिह जाति तरखान निवासी गांव कोठा हाल वार्ड न. 18, सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज० ।
2. अमरजीत कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिह धर्म पत्नी श्री जसवन्त सिह जाति तरखान निवासी गांव कोठा हाल गांव घमूड़वाली तह०पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज० ।
3. हरजिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह पत्नी श्री सुखपाल सिह जाति तरखान निवासी गांव कोठा हाल वार्ड न. 18, सादुलशहर जिला गंगानगर ।
4. कुलविन्द्र कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह पत्नी श्री हरनेक सिह जाति तरखान निवासी गांव कोठा हाल मलोट वार्ड न. 12, कलगीध र स्कूल के पास, मलोट पंजाब ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

दिनांक :–04.04.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीयान के पिता श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री केहरसिह के नाम से वाके चक 3 ए बड़ा पटवार हल्का कोठातहसील व जिला गंगानगर के मुरबा न.41 में 9 वीघा नहरी कृषिभूमि है जिसकी जमाबंदी वर्ष 2073 से 76 के खाता संख्या – 33/34 है इस जमाबंदी की नकल सलंग्न प्रार्थना–पत्र है। मूल खातेदारी की मृत्यु के उपरान्त उसकी 6 लड़किया उसकी विधिक उतराधिकारी बनी क्योकि जोगेन्द्रसिह के कोई लड़का नही था और जोगेन्द्रसिह की पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है परिवार की वंशावली निम्न प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

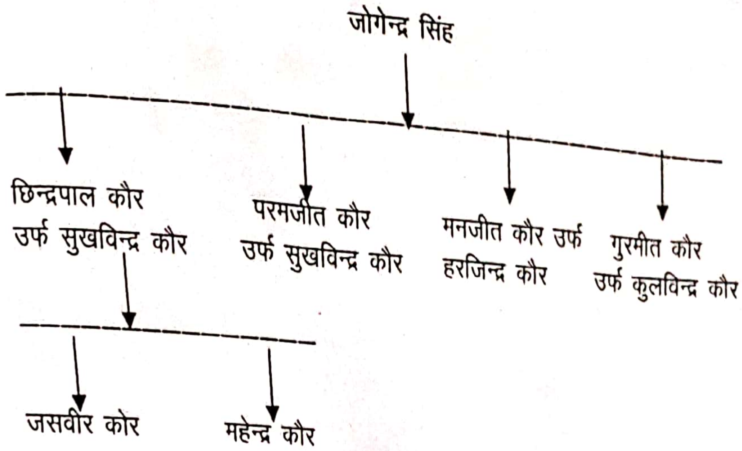

जोगेन्द्र सिह की मृत्यु उपरान्त उसकी कृषि भूमि उसकी 6 पुत्रियों के नाम से बैहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक पुत्री के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज हुआ नकल जमाबंदी सलंग्न है। चारो प्रार्थीयान की शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा अपने हिसाब से प्रार्थीयान के नये नाम रखे गये और चारो प्रार्थीयान के सरकारी रिकार्ड में नये नाम दर्ज किये गये जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड में नये नाम दर्ज है जबकि जमाबंदी में शादी से पहले वाले नाम दर्ज है। ऐसी सूरत में चारो प्रार्थीयान के नाम जमाबंदी में दुरूस्त किया जाना जरूरी व न्याय संगत है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत व परेशानी ना हो क्योकि वर्तमान में चारो प्रार्थीयान के नाम ससुराल रखे गये नामो से पुकारा जाता है इस तरह से ससुराल में रखे गये नाम के हिसाब से प्रार्थीयान के नाम जमाबंदी मे दुरूस्त करने से किसी पक्ष मेंको कोई नुकसान नही है और सभी का हिस्सा भी यथावत रहेगा तथा चारो प्रार्थीयान की वल्दीयत भी वही रहेगी। प्रार्थीयान के नाम से निम्न प्रकार से दुरूस्त किया जाना जरूरी है:–

क – छिन्द्रपाल कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह के स्थान पर सुखविन्द्र कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह ।

ख– परमजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह के स्थान पर अमरजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह ।

ग– मनजीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिह के स्थान पर हरजिन्द्र कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिह ।

घ – गुरमीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिह के स्थान पर कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री जोगेन्द्रसिह ।

उपरोक्तानुसार जमाबंदी में दुरूस्ती की जानी जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आवे ।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थीयान का नाम प्रार्थीयान की जमाबंदी वाके चक 3 एं बड़ा पटवार हल्का कोठा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता संख्या– 33/34 के मुरबा न.41 प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या–5 अनुसार दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त विषयक के सम्बन्ध में निवेदन हे कि पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हाल जमाबन्दी चक 3 ए बड़ा

Scanned with CamScanner

के मु.नं. 41 रकबा 1.935 हैक्. गुरमीतकौर छिन्द्रपालकौर जसवीरकौर परमजीत कौर मनजीतकौर महेन्द्रकौर पुत्रीयान जोगेन्द्रसिंह बहिब, 1/6 हिस्सा. जाति तरखान साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। यह है कि संवत 2069–2072 खाता संख्या 34 मु.नं. 41 ई.सं. 542/22.05.2017 किस्म विरासतन से छिन्द्रपालकौर, महेन्द्रकौर मनजीतकौर परमजीतकौर गुरमीतकौर जसवीरकौर पुत्रिया जोगेन्द्रसिंह दर्ज रिकार्ड हुआ । जो आंदिनांक तक ऑनलाईन में जमाबन्दी में भी दर्ज है। यह है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार ससुराल पक्ष व पीहर पक्ष में अलग–अलग नामों से पुकारा जाता है। रिपोर्ट पटवारी व घटना बही अनुसार सुखजिन्द्रकौर और छिन्द्रपालकौर अमरजीतकौर और परमजीतकौर, हरजिन्द्रकौर और मनजीतकौर कलविन्द्रकौर और गुरमीतकौर पुत्रियान जोगेन्द्रसिंह उक्त नामो से ही पुकारा जाता है । वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत है ।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एवम् दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 3 ए बडा, पटवार हल्का कोठा, भू.अ.क्षे. हिन्दूमलकोट खाता संख्या 33/34 की प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत कोठा(2बी बडी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जोगेन्द्र सिंह पुत्र केहर सिंह का परिवार राशनकार्ड की प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 3 ए बडा, पटवार हल्का कोठा, भू.अ.क्षे. हिन्दूमलकोट खाता संख्या 33/34 की जमाबंदी में छिन्द्रपाल कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह के स्थान पर सुखविन्द्र कौर उर्फ छिन्द्रपाल कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह, परमजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिह के स्थान पर अमरजीत कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह, मनजीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिह के स्थान पर हरजिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिहं, गुरमीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिह के स्थान पर कुलविन्द्र कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री श्री जोगेन्द्रसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner